न्यायालय :–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ढीमरखेड़ा, जिला–कटनी (म0प्र0)
(समक्ष–पूर्वी तिवारी)

(निर्णय दिनाँक :–30.01.2026)

आपराधिक प्रकरण क्र.–197 / 2024

फाईलिंग नं.–921 / 2024

सी.एन.आर.नं.–M.P.2106-000977-2024

संस्थित दिनाँक–21.10.2024

(पी.ओ. आर. क्रमाँक–183 / 2072, परियोजना परिक्षेत्र, रामपुर, ढीमरखेड़ा, जिला–कटनी (म.प्र.)

शिकायतकर्ता	परियोजना परिक्षेत्र, रामपुर, ढीमरखेड़ा, जिला–कटनी।
विशेष द्वारा प्रतिनिधित्व	विशेष लोक अभियोजक सुश्री मंजुला श्रीवास्तव। एडीपीओ श्री विनोद सिंह लोधी।
अभियुक्तगण	1. कन्छेदी पिता प्रेमचंद बैगा, उम्र–28 वर्ष 2. प्रेमचंद पिता विश्राम बैगा, उम्र–62 वर्ष दोनों निवासी–ग्राम अमराडांड, थाना व तहसील बड़वारा, जिला–कटनी (म.प्र.) 3. सूरज पिता चन्द्रभान गोंड, उम्र–44 वर्ष निवासी–ग्राम रोझन, थाना व तहसील ढीमरखेड़ा, जिला–कटनी (म.प्र.) 4. जगन उर्फ जगना पिता जुगराज गोंड, उम्र–45 वर्ष निवासी–ग्राम टिकरिया, थाना स्लीमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, जिला–कटनी (म.प्र.)
अभियुक्तगण	श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अधिवक्ता।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ढीमरखेड़ा, जिला कटनी सत्यमेव जयते

30.01.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

कन्छेदी, प्रेमचंद, जगन द्वारा प्रतिनिधित्व	
अभियुक्त सूरज द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री जे.पी. शुक्ला, अधिवक्ता।

फार्म–बी

अपराध की तारीख	21.08.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	21.08.2024
आरोप–पत्र की तारीख	21.10.2024
आरोपों के विरचना की तारीख	26.09.2025
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	28.01.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	30.01.2026
निर्णय की तारीख	30.01.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	30.01.2026

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी /धारा– 41 द.प्र.सं. के सूचना पत्र की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति / दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोज्नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	कन्छेदी पिता	22.08.2024	—	धारा–39, 48ए, 49बी	दोषसिद्ध	धारा–51(1) के अधीन प्रत्येक धारा	दिनांक 22.08.2024 से

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

	प्रेमचंद बैगा			सहपठित धारा–52 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972		के अंतर्गत् 03–03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक अपराध हेतु 25,000–25,000/– रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड। इस प्रकार अभियुक्त पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड **75,000/– रूपये** (पच्छहत्तर हजार रूपये)	आज दिनांक 30.01.2026 तक कुल 526 दिन
02.	प्रेमचंद पिता विश्राम बैगा	22.08.2024	—	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
03.	सूरज पिता चन्द्रभान गोंड	25.08.2024	22.10.2024	धारा–49बी सहपठित धारा–52 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	यथोक्त	धारा–51(1) के अधीन के अंतर्गत् 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड।	दिनांक 25.08.2024 से दिनांक 22.10.2024 तक कुल 58 दिन
04.	जगना पिता जुगराज गोंड	29.09.2024	25.10.2024	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	दिनांक 29.09.2024 से 25.10.2024 तक कुल 26 दिन

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

प्रारूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	लोकेश सिंह	जप्ती / गिरफ्तारी / पंचनामा / पी.ओ.आर. साक्षी
अ.सा. 2	अभिषेक शुक्ला	नक्शा / पी.ओ.आर. / जप्ती / पंचनामा साक्षी
अ.सा. 3	शिवम चक्रवर्ती	जप्ती / गिरफ्तारी / पंचनामा / पी.ओ.आर. साक्षी
अ.सा. 4	डॉ. निधि राजपूत	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा. 5	अखिलेश अड़कने	अनुसंधान साक्षी
अ.सा. 6	देवेश खराड़ी	अनुसंधान साक्षी
अ.सा. 7	सैय्यद जनैद हुसैन	अनुसंधान साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हरसूद, जिला खण्डवा (म.प्र.)

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1 / अ.सा.1	जप्ती पत्रक
2	प्रदर्श पी.2 / अ.सा.1	नजरी नक्शा
3	प्रदर्श पी.3 / अ.सा.1	मौका पंचनामा
4	प्रदर्श पी.4 / अ.सा.1	तौल पंचनामा
5	प्रदर्श पी.5 / अ.सा.1	नजरी नक्शा
6	प्रदर्श पी.6 / अ.सा.1	मौका नक्शा
7	प्रदर्श पी.7 / अ.सा.1	गिरफ्तारी पत्रक
8	प्रदर्श पी.8 / अ.सा.1	गिरफ्तारी पत्रक
9	प्रदर्श पी.9 / अ.सा.1	जामा तलाशी
10	प्रदर्श पी.10 / अ.सा.1	जामा तलाशी
11	प्रदर्श पी.11 / अ.सा.1	मौका पंचनामा
12	प्रदर्श पी.12 / अ.सा.1	नजरी नक्शा
13	प्रदर्श पी.13 / अ.सा.1	गिरफ्तारी पत्रक
14	प्रदर्श पी.14 / अ.सा.1	जामा तलाशी
15	प्रदर्श पी.14ए / अ.सा.1	जप्ती पत्रक
16	प्रदर्श पी.15 / अ.सा.1	गिरफ्तारी पत्रक
17	प्रदर्श पी.16 / अ.सा.1	जामातलाशी
18	प्रदर्श पी.17 / अ.सा.1	साक्षी लोकेश सिंह के कथन
19	प्रदर्श पी.18 / अ.सा.1	पंचनामा
20	प्रदर्श पी.19 / अ.सा.1	प्रतिवेदन
21	प्रदर्श पी.20 / अ.सा.1	पतासाजी पंचनामा
22	प्रदर्श पी.21 / अ.सा.1	पतासाजी पंचनामा

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

23	प्रदर्श पी.22 / अ.सा.1	सीलबंद पंचनामा
24	प्रदर्श पी.23 / अ.सा.1	मौका पंचनामा
25	प्रदर्श पी.24 / अ.सा.1	साक्षी शिवम के कथन
26	प्रदर्श पी.25 / अ.सा.1	राहुल सेन के कथन
27	प्रदर्श पी.26 / अ.सा.1	पतासाजी पंचनामा
28	प्रदर्श पी.27 / अ.सा.1	पतासाजी पंचनामा
29	प्रदर्श पी.28 / अ.सा.1	पतासाजी पंचनामा
30	प्रदर्श पी.29 / अ.सा.1	पतासाजी पंचनामा
31	प्रदर्श पी.30 / अ.सा.2	जप्ती पत्रक
32	प्रदर्श पी.31 / अ.सा.2	पी.ओ.आर. क्रमांक–183 / 2072
33	प्रदर्श पी.32 / अ.सा.2	शिनाख्ती नक्शा
34	प्रदर्श पी.33 / अ.सा.2	नजरी नक्शा
35	प्रदर्श पी.34 / अ.सा.2	शिनाख्ती पंचनामा
36	प्रदर्श पी.35 / अ.सा.2	साक्षी अभिषेक शुक्ला के कथन
37	प्रदर्श पी.36 / अ.सा.4	परीक्षण रिपोर्ट
38	प्रदर्श पी.37 / अ.सा.5	पंचनामा
39	प्रदर्श पी.38 / अ.सा.5	फोटोग्राफ्स
40	प्रदर्श पी.39 / अ.सा.5	फोटोग्राफ्स
41	प्रदर्श पी.40 / अ.सा.5	फोटोग्राफ्स
42	प्रदर्श पी.41 / अ.सा.5	पत्र क्रमांक–410
43	प्रदर्श पी.43 / अ.सा.5	मुलाहिजा फॉर्म
44	प्रदर्श पी.44 / अ.सा.6	अभियुक्त कन्छेदी के कथन
45	प्रदर्श पी.45 / अ.सा.6	अभियुक्त प्रेमचंद के कथन
46	प्रदर्श पी.46 / अ.सा.6	पत्र कमांक–2024 / 396

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रीमखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

47	प्रदर्श पी.47 / अ.सा.6	पत्र कमांक–394
48	प्रदर्श पी.48 / अ.सा.6	पत्र क्रमांक–395
49	प्रदर्श पी.49 / अ.सा.6	पत्र क्रमांक–393
50	प्रदर्श पी.50 / अ.सा.6	पेंगोलिन को जीवीत अवस्था में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आवेदन
51	प्रदर्श पी.51 / अ.सा.6	पेंगोलिन को जीवीत अवस्था में उसके निर्धारित स्थान में छोड़े जाने का पत्र
52	प्रदर्श पी.52 / अ.सा.6	जप्तशुदा सामग्री प्रदान किए जाने का आवेदन
53	प्रदर्श पी.53 / अ.सा.6	अभियुक्त सूरज के कथन
54	प्रदर्श पी.54 / अ.सा.7	अभियुक्त जगन के कथन

ख. प्रतिरक्षा

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–01	धातू की हांडी
2	आर्टिकल ए–02	सीमेंट की बोरी

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

//निर्णय//

01. अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–39, 48ए के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनाँक–21.08.2024 को दोपहर लगभग 02:30 बजे, आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा अन्तर्गत बीट अमराडांड आरक्षित वन कक्ष क्रमांक–463, वृत्त खमतरा, परियोजना परिक्षेत्र, रामपुर में अनुसूची–01 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी पेंगोलिन के आधिपत्य में होना पाए गए, वन्यप्राणी पेंगोलिन का परिवहन किया एवं समस्त अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज, जगन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–49बी सहपठित धारा–52 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वन्यप्राणी पेंगोलिन का बिना अनुज्ञप्ति के व्यापार/विक्रय का प्रयत्न किया।

02. अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक–21.08.2024 को अभिषेक शुक्ला वनरक्षक, बीट अमराडांड को सूचना प्राप्त हुई कि, कुछ लोग ग्राम अमराडांड के पास जंगल से गुजरने वाले भजिया से छरवारा वनमार्ग पर वन्यप्राणी पेंगोलिन का शिकार करने की योजना बना रहे हैं, साथ ही अज्ञात मुखबिर ने संभावित शिकारियों का हुलिया एवं नाम भी बताया। अतः प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर लोकेश सिंह ठाकुर, प्रभारी सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, अभिषेक शुक्ला वनरक्षक, राहुल सेन क्षेत्ररक्षक एवं शिवम चक्रवर्ती क्षेत्ररक्षक, बीट अमराडांड के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक–463 से लगे लगानी खेत में बने झोपड़ी से लगभग 100 मीटर दूर छिपकर बैठ गये, तभी 02 व्यक्ति अपने खेत में बनी मढ़ैया (झोपड़ी) से निकलकर बीट अमराडांड के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक–463 से गुजरने वाले भजिया से छरवारा वनमार्ग पर चलकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे, जिसमें से एक के सिर पर धातु की हांडी थी, जो बोरी से ढकी हुई थी एवं दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे चल रहा था। तभी उपरोक्त वन स्टाफ ने उन लोगों को रोका और रोककर उन दोनों से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः कन्छेदी पिता प्रेमचंद बैगा, उम्र 28 वर्ष तथा प्रेमचंद पिता विश्राम बैगा, उम्र 60 वर्ष होना बताया। प्रेमचंद बैगा ने बताया कि वे दोनों जंगल में झरना पर कपड़े धोने जा रहे हैं और बताया कि उनकी हांडी में कपड़े है। जब लोकेश सिंह ठाकुर ने हांडी खोलकर दिखाने

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

के लिए बोला, तब उन्होंने पाया कि हांडी के अंदर 01 वन्यप्राणी पेंगोलिन जीवित एवं घायल अवस्था में है। तब अभिषेक शुक्ला ने पूछा कि तुम लोग इसे कहां से लाये हो, तो प्रेमचंद बैगा ने बताया कि इस जानवर को जंगल से पकड़ कर लाये हैं, तब शिवम चक्रवर्ती ने पूछा कि किस लिये पकड़ा है, तो कन्छेदी बैगा ने बताया कि हम लोग इसे मारकर खायेंगे। मौके पर अभियुक्तगण से पेंगोलिन, धातु की हांडी, प्लास्टिक की बोरी एवं मोबाईल जप्त किया गया और अन्य अनुसंधान कार्यवाहियां प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किए गए, जिन्होंने अपने कथनों में सूरज व जगन का अपराध में सम्मिलित होना बताया। तदोपरांत पी.ओ. आर. क्रमांक–183/2072 की रिपोर्ट के आधार पर वन परिक्षेत्र, ढीमरखेड़ा द्वारा अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन को उपरोक्त अपराध कबूल कर घटनास्थल की शिनाख्तगी कराई गई, अभियुक्तगण के काबूलियतनामा कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित किया गया, घटनास्थल का नजरी नक्शा निर्मित किया गया, वरिष्ठ वन अधिकारी द्वारा साक्षीगण के कथन अभियुक्तगण की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए एवं अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन के विरूद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–39, 44, 48ए, 49बी, 51(1), 52 का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर, विवेचना उपरांत पी. ओ.आर. क्रमांक–183/2072 से संबंधित मूल परिवाद न्यायालय में दिनाँक–21.10.2024 को प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उन्होंने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण की मांग की है तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–351 के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन ने उनके बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

04. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:–

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

01. क्या अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद ने दिनाँक–21.08.2024 को दोपहर लगभग 02:30 बजे, आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा अन्तर्गत बीट अमराडांड आरक्षित वन कक्ष क्रमांक–463, वृत्त खमतरा, परियोजना परिक्षेत्र, रामपुर में अनुसूची–01 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी पेंगोलिन के आधिपत्य में होना पाए गए ?

02. क्या अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अनुसूची–01 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी पेंगोलिन का परिवहन किया ?

03. क्या अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वन्यप्राणी पेंगोलिन का बिना अनुज्ञप्ति के व्यापार/विक्रय का प्रयत्न किया ?

–:: निष्कर्ष एवं विवेचना ::–

विचारणीय प्रश्न क्रमाँक–01 लगायत 03 के संबंध में :–

05. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर अनन्योनाश्रित होने के कारण, साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति को निवारित करने के आशय से उक्त विचारणीय प्रश्नों पर एक साथ विचार किया जाकर, उनका निराकरण किया जा रहा है।

06. **लोकेश सिंह ठाकुर (अ.सा. 01)** ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्तगण को पहचानते हुए यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक–21.08.2024 को परियोजना परिक्षेत्र, रामपुर अंतर्गत् परिक्षेत्र वृत्त में परियोजना परिक्षेत्र सहायक प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अमराडांड के बीट प्रभारी अभिषेक शुक्ला से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमराडांड के समीप कुछ लोग वन्य प्राणी पेंगोलिन की खरीद–फरोख्त कर रहे हैं। उक्त सूचना के उपरांत परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी देवेश खराड़ी, क्षेत्ररक्षक राहुल सेन, शिवम चक्रवर्ती एवं वन रक्षक अभिषेक शुक्ला दल गठित कर मौके पर पहुंचे थे और छिपकर बैठ गए थे। कुछ देर उपरांत दोपहर लगभग 02:00 बजे, खेत में बनी हुई झोपड़ी से दो लोग निकले थे, जिसमें से एक के सिर पर धातु की हांडी थी, जो सफेद

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

रंग की बोरी से ढकी हुई थी और उसके पीछे एक व्यक्ति खाली हाथ चल रहा था। जैसे ही वह दोनों वन मार्ग पर पहुंचे, तो उन दोनों को गठित दल ने घेर लिया और हांडी के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि झरने में कपड़े धोने के लिए ले जा रहे हैं।

07. इस साक्षी ने यह भी बताया है कि जब अभिषेक शुक्ला ने उससे बोला कि हांडी खोलकर दिखाओ, तो हांडी में एक जीवित पेंगोलिन घायल अवस्था में होना पाया गया। क्षेत्ररक्षक शिवम चक्रवर्ती ने उन दोनों का नाम–पता पूछा, तो उन्होंने अपना नाम कन्छेदी पिता प्रेमचंद एवं प्रेमचंद पिता विश्राम, निवासीगण–ग्राम अमराडांड होना बताया और यह भी बताया कि उक्त पेंगोलिन को उन्होंने अमराडांड के जंगल से पकड़ा है, जिसे वह मारकर, पकाकर खाएंगे। इसके उपरांत अभिषेक शुक्ला ने अभियुक्त कन्छेदी के आधिपत्य से जीवित पेंगोलिन, धातु की हांडी और अभियुक्त प्रेमचंद से की–पैड मोबाईल जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था और घटनास्थल भजिया से छरवारा मार्ग, बीट अमराडांड का नजरी नक्शा, घटना स्थल का मौका पंचनामा, जप्त पेंगोलिन का वजन कर तौल पंचनामा, अभियुक्तगण द्वारा पेंगोलिन को पकड़ने वाले स्थान का नजरी नक्शा एवं मौका नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–06 हैं और उनके ए से ए भाग पर साक्षी लोकेश सिंह ने स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है।

08. इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी देवेश खराड़ी ने अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद के कथन लिए थे, जिन्होंने उनके कथनों में बताया था कि ग्राम भदावर निवासी सूरज ने उनसे कहा था कि पेंगोलिन पकड़कर ला दो, एक–देढ़ लाख रूपये दूंगा। इसलिए उन्होंने अभियुक्त सूरज के कहने पर पेंगोलिन को पकड़ा था। देवेश खराड़ी ने उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–07, 08 एवं जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–09, 10 तैयार किया था। अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद के कथनों के आधार पर अभियुक्त सूरज को ग्राम भदावर, थाना व तहसील–बड़वारा से उसके खेत में बनी मड़ैया से पकड़ा था और उक्त साक्षी ने शिवम चक्रवर्ती व अभिषेक शुक्ला के समक्ष मौका पंचनामा प्रदर्श पी–11, नजरी नक्शा प्रदर्श पी–12 तैयार किया था, जिनके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके उपरांत अभिषेक सूरज

30.1.26

(पूर्वा तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

को रेंज कार्यालय, रामपुर लाया गया था, जहां पर उसे रेंज अधिकारी सैय्यद जुनैद हुसैन द्वारा दिनांक–25.08.2024 को अभियुक्त सूरज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–13 निर्मित किया गया था। अभियुक्त सूरज के बयान भी लेखबद्ध किए गए थे, जिसने अपने कथन में बताया था कि उसका फूफा जगन उर्फ जगना, निवासी–ग्राम टिकरिया ने उससे कहा था कि पेंगोलिन दिलवा दो, ढाई–तीन लाख रूपये दिलवा दूंगा, तो उसने जगन उर्फ जगना के कहने पर ही अभियुक्तगण कन्छेदी व प्रेमचंद से पेंगोलिन लाने के लिए कहा था।

09. अभियोजन साक्षी लोकेश सिंह ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि अभियुक्त सूरज के कथन के आधार पर ग्राम टिकरिया से दिनांक–28.09.2024 को अभियुक्त जगन उर्फ जगना के घर जाकर पूछताछ की थी, जिसने अभियुक्तगण को पहचानना स्वीकार किया था और अभियुक्त जगन से उसका मोबाईल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–14ए तैयार किया गया था। अभियुक्त जगन उर्फ जगना को रेंज कार्यालय, रामपुर लाया जाकर, दिनांक–29.09.2024 को उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–15 और जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–16 तैयार किया गया था, जिनके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त जगन उर्फ जगना से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह सूरज के साथ उठता–बैठता था, उसने सूरज से बोला था कि यदि पेंगोलिन दिलवा दोगे, तो ढाई–तीन लाख रूपये दिलवा दूंगा। अभियुक्त जगन ने सोनू और ज्ञान सिंह को भी उसके साथ कृत्य में सम्मिलित होना बताया था। अभियोजन साक्षी लोकेश सिंह के कथन अखिलेश अड़कने, कार्यवाहक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, रामपुर ने लिए थे, जो प्रदर्श पी–17 है।

10. अभियोजन साक्षी लोकेश सिंह ने उनके मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि न्यायालय के समक्ष जप्तशुदा धातु की हांडी, प्लास्टिक की बोरी, मोबाईल एवं वन्य प्राणी को प्रस्तुत किया गया था और जप्तशुदा वस्तुओं को पुनः अभिषेक शुक्ला द्वारा सीलबंद किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–18 है। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी पेंगोलिन को न्यायालय के आदेश उपरांत पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी में दिनांक–24.08.2024 को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया था, जिसका प्रतिवेदन

20.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

प्रदर्श पी–19 है। इस साक्षी ने अभियुक्त जगन उर्फ जगना की तलाश के संबंध में पतासाजी पंचनामा प्रदर्श पी–20 व 21 पर स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है और दिनांक–28.09.2024 को अभियुक्त जगन उर्फ जगना के आधिपत्य से जप्त मोबाईल को उनके समक्ष सीलबंद करना बताया है, जिसका सीलबंद पंचनामा प्रदर्श पी–22 एवं मौका पंचनामा प्रदर्श पी–23 है। उक्त साक्षी ने परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर में साक्षीगण शिवम व राहुल के कथन अभियुक्त जगन के समक्ष लेना बताए हैं, जो क्रमशः प्रदर्श पी–24 व प्रदर्श पी–25 हैं।

11. यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी लोकेश सिंह के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तात्विक विरोधाभास समक्ष नहीं आए हैं, जो उक्त साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय निर्मित करें, अर्थात् साक्षी लोकेश सिंह के मुख्यपरीक्षण के कथनों का खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

12. **अभिषेक शुक्ला (अ.सा. 02)** ने उसकी साक्ष्य में साक्षी लोकेश सिंह के कथनों का समर्थन करते हुए, यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 21.08.2024 को उसे फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमराडांड में दो व्यक्ति वन्य प्राणी पेंगोलिन की खरीद–फरोख्त करने वाले हैं, जिसकी सूचना उसने लोकेश ठाकुर और अन्य स्टाफ को दी थी। इसके पश्चात् वह मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छिपकर बैठ गए थे, जहां उन्हें दोपहर लगभग 02:30 बजे, खेत में बनी मड़ैया से दो व्यक्ति आते हुए दिए, जिसमें एक के सिर पर धातु की हांडी थी, जो सीमेंट की खाली बोरी से ढकी हुई थी और एक व्यक्ति उसके पीछे चल रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने उन दोनों व्यक्तियों को रोका और उनका नाम–पता व धातु की हांडी में रखे सामान के संबंध में पूछा। उन दोनों व्यक्तियों ने अपना–अपना नाम प्रेमचंद पिता विश्राम व कन्छेदी पिता प्रेमचंद होना बताते हुए, हांडी में झरने पर कपड़े धोने के लिए ले जाना बताया। जब उस व्यक्ति से हांडी खोलकर दिखाने के लिए बोला गया, तब उस हांडी में जीवित व घायल अवस्था में वन्य प्राणी पेंगोलिन होना पाया गया और अभियुक्तगण ने बताया कि उन्होंने पेंगोलिन को जंगल से पकड़ा है और वह इसे मारकर खाने के लिए ले जा रहे हैं।

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

13. इस साक्षी ने अभियुक्त कन्छेदी के कब्जे से घायल व जीवित अवस्था में वन्य जीव पेंगोलिन, एक धातु की हांडी, सीमेंट की बोरी, अभियुक्त प्रेमचंद से जियो कंपनी का मोबाईल जप्त व सीलबंद कर जप्ती पत्रक तैयार किया था और घटनास्थल का मौका नक्शा, मौका पंचनामा, पेंगोलिन का तौल पंचनामा, अभियुक्त की निशादेही पर नजरी नक्शा तैयार किया था। उक्त समस्त कार्यवाहियां अभियोजन साक्षी अभिषेक शुक्ला ने लोकेश ठाकुर व राहुल सेन के समक्ष संपन्न की थी। इसके पश्चात् परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर में अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद से परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी देवेश खराड़ी द्वारा उसके समक्ष पूछताछ की गई थी, जिसमें अभियुक्तगण ने बताया था कि उन्होंने पेंगोलिन को लगभग 15 दिवस पूर्व सूरज गौंड के कहने पर पकड़ा था और सूरज ने उनको एक–देढ़ लाख रूपये दिलवाना बोला था। उक्त अभियुक्तगण ने उनके पास वन्य प्राणी पेंगोलिन को जंगल से पकड़ने व परिवहन करने की कोई वैध अनुज्ञप्ति व अनुमति ना होना बताया है। इसके उपरांत अभियुक्तगण को देवेश खराड़ी द्वारा जामा तलाशी के उपरांत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था।

14. अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद बैगा के कथनों के आधार पर अभियुक्त सूरज को ग्राम भदावर से दिनांक–25.08.2024 को पकड़ा गया था, जिसका मौका पंचनामा, नजरी नक्शा उक्त साक्षी ने लोकेश ठाकुर व शिवम चक्रवर्ती के समक्ष बनाया था। इसके उपरांत अभियुक्त सूरज को परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर लाया जाकर, उसके समक्ष अभियुक्त सूरज की जामा तलाशी व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी और अभियुक्त सूरज से परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी देवेश खराड़ी द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने प्रेमचंद से बोला था कि तुम जंगल आते–जाते रहते हो, वन्य प्राणी पेंगोलिन मिले तो उसे पकड़ लेना, जिसे वह एक–देढ़ लाख रूपये में बिकवा देगा। यह बात सूरज को उसके फूफा जगन उर्फ जगना ने बोली थी। अभियुक्त सूरज के कथनों के आधार पर ग्राम टिकरिया से अभियुक्त जगन को पकड़ा गया और घटनास्थल से उसकी शिनाख्ती कर नजरी नक्शा, मौका पंचनामा, मोबाईल के संबंध में जप्ती पत्रक बनाया गया। उपरोक्तानुसार अभियुक्त जगन को भी परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर लाया जाकर, जामा तलाशी व गिरफ्तारी की

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

कार्यवाही की गई और अभियुक्त जगन उर्फ जगना के कथन उसके समक्ष परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी सैय्यद जुनैद हुसैन द्वारा लेखबद्ध किए गए।

15. अभियोजन साक्षी अभिषेक शुक्ला के कथन परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर में अखिलेश अड़कने द्वारा लेखबद्ध किए गए थे, जो प्रदर्श पी–35 है और उसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने धातु की हांडी को आर्टिकल ए–01 एवं सीमेंट की खाली बोरी को आर्टिकल ए–02 के रूप में चिन्हित कर उसकी पहचान की पुष्टि की है। अभियोजन साक्षी अभिषेक शुक्ला के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य समक्ष नहीं आए हैं, जो उसके मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन करें। प्रकरण में अनुसंधान से संबंधित मुख्य कार्यवाहियां अभिषेक शुक्ला द्वारा लोकेश सिंह, राहुल सेन व शिवम चक्रवर्ती के समक्ष की गई हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं अभिषेक शुक्ला एवं उक्त साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में की है।

16. **शिवम चक्रवर्ती (अ.सा. 03)** ने उसकी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक–21.08.2024 को वह कुंडम प्रोजेक्ट की रामपुर रेंज में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था और उसे सुबह लगभग 10:00 बजे रेंज आफिसर देवेश खराड़ी का फोन आया था और उसे तत्काल कार्यालय आहुत किया था। कार्यालय पहुंचने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि मुखबिर सूचना के अनुसार बीट अमराडांड के कक्ष क्रमांक–463 में वन्यप्राणी पेंगोलिन की खरीद–फरोख्त की जानकारी प्राप्त हुयी है। वह लोग मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छिपकर बैठ गए, जहां कुछ देर बाद उन्हें दो व्यक्ति आते हुए दिखे। एक व्यक्ति के सिर पर धातु की हांडी, सीमेंट की बोरी से ढकी हुई थी, जिन्हें रोककर उनका नाम–पता व धातु की हांडी के संबंध में पूछा गया और उसे खोलकर दिखाने के लिए बोला गया। धातु की हांडी में एक जीवित व घायल अवस्था में वन्य प्राणी पेंगोलिन होना पाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने मारकर खाने के लिए ले जाना बताया। अभियुक्तगण के आधिपत्य से पेंगोलिन, धातु की हांडी, प्लास्टिक की बोरी व मोबाईल जप्त व सीलबंद कर जप्ती पत्रक निर्मित किया गया और मौका नक्शा, नजरी नक्शा, पेंगोलिन के तौल पंचनामा व मौका पंचनामा की कार्यवाहियां की गई।

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बीमखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

17. इसके पश्चात् अभियुक्तगण को परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर लाया जाकर, परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी देवेश खराड़ी द्वारा जामा तलाशी के उपरांत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित किया और अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण ने उनके कथनों में सूरज गौड़, निवासी–ग्राम टिकरिया के कहने पर पेंगोलिन को पकड़ना बताया और यह भी व्यक्त किया कि सूरज ने उन्हें पेंगोलिन के बदले एक–देढ़ लाख रूपये दिया जाना बोला था। अभियुक्तगण के कथनों के आधार पर सूरज को ग्राम टिकरिया से पकड़ा गया और उपरोक्तानुसार जप्ती पत्रक, मौका पंचनामा, नजरी नक्शा, जामा तलाशी, गिरफ्तारी पत्रक की कार्यवाही उपरांत अभियुक्त सूरज के कथन लेखबद्ध किए गए। जिसमें अपने कथन में उसके फूफा जगन सिंह द्वारा पेंगोलिन की खरीद–फारोख्त में सम्मिलित होना बताया। उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्त जगन उर्फ जगना को पकड़ा गया और समस्त कार्यवाहियां उपरांत उसके कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें ज्ञान सिंह का भी उक्त अपराध में संलिप्त होना ज्ञात हुआ। उक्त साक्षी के कथन लोकेश सिंह द्वारा अभियुक्त जगन की उपस्थिति में लिए गए थे, जो प्रदर्श पी–24 है और उसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

18. **देवेश खराड़ी (अ.सा. 06)** ने उनकी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक–21.08.2024 को वह परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वन रक्षक अभिषेक शुक्ला द्वारा ग्राम भजिया से छरवारा वन मार्ग पर अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद के आधिपत्य से वन्य प्राणी पेंगोलिन (जिसका वैज्ञानिक नाम Manis Crassicaudata है) धातु की हांडी, मोबाईल फोन और एक बोरी जप्त की थी। उक्त साक्षी द्वारा दिनांक–22.08.2024 को अभियुक्तगण से परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर में अभियुक्तगण कन्छेदी व प्रेमचंद से पूछताछ कर उनके बयान लेखबद्ध किए गए थे, जिसमें अभियुक्तगण ने सूरज गौंड के कहने पर पेंगोलिन पकड़ना बताया है और यह भी व्यक्त किया है कि सूरज ने उक्त पेंगोलिन के बदले एक–देढ़ लाख रूपये देने की बात कही थी। अभियुक्तगण ने उनके पास पेंगोलिन पकड़ने और उनके आधिपत्य में रखने के संबंध में कोई वैध अनुज्ञप्ति व अनुमति ना होना भी बताया है। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि

30.1.26
(पूर्वा तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

अभियुक्तगण ने स्वेच्छया उनके बयान दिए थे तथा अभियुक्त कन्छेदी के बयान प्रदर्श पी–44 व अभियुक्त प्रेमचंद के बयान प्रदर्श पी–45 हैं, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि करते हुए, उस पर अभियुक्तगण के अंगूठा निशानी होना भी बताया है।

19. अभियोजन साक्षी देवेश खराड़ी द्वारा अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद की जामा तलाशी व गिरफ्तारी की कार्यवाहियां की गई थी, जो प्रदर्श पी–07 लगायत प्रदर्श पी–10 हैं। उनके द्वारा दिनांक–22.08.2024 को पत्र क्रमांक–395 लेख कर पशु चिकित्सा अधिकारी, ढीमरखेड़ा से जप्त वन्य प्राणी पेंगोलिन के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आग्रह किया गया था, जो प्रदर्श पी–48 है। उनके द्वारा जप्तशुदा संपत्तियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर, वन्य प्राणी पेंगोलिन को उचित वातावरण में छोड़े जाने की अनुमति बाबत् न्यायालय में पत्र प्रदर्श पी–51 प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरांत जप्तशुदा संपत्तियों को पुनः न्यायालय में सीलबंद किया गया था, जिसका सीलबंद पंचनामा प्रदर्श पी–18 है।

20. अभियोजन साक्षी देवेश खराड़ी ने दिनांक–25.08.2024 को परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर में अभियुक्त सूरज से पूछताछ कर उसके बयान लेखबद्ध करना बताया है, जिसमें अभियुक्त सूरज ने उसके फूफा जगन उर्फ जगना के कहने पर पेंगोलिन पकड़वाने की बात अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद से कही थी। जगन उर्फ जगना ने सूरज को पेंगोलिन के संबंध में दो–ढाई लाख रूपये दिलवाना बोला था, जिसके बाद घटना के 15 दिवस पूर्व प्रेमचंद ने सूरज को बताया था कि एक पेंगोलिन पकड लिया है, जिसे देखने के लिए सूरज और जगन प्रेमचंद के खेत गए थे और वहां उनका देढ लाख रूपये में लेन–देन का सौदा हुआ था। इसके बाद सूरज और जगन वापस घर आ गए थे और उनके साथ सोनू व एक अन्य व्यक्ति भी था। सोनू ने सूरज से दो–तीन बाद पैसे लाने और पेंगोलिन ले जाने की बात बोली थी, परंतु इसके बाद सूरज का संपर्क जगन से नहीं हुआ और इस बीच उसे पता चला कि अभियुक्तगण प्रेमचंद व कन्छेदी को वन विभाग ने पकड़ लिया है, जिसके बाद वह डर के भाग गया और खेत की मड़ैया में रहने लगा। देवेश खराडी द्वारा अभियुक्त सूरज के लिए गए कथन प्रदर्श पी–53 है, जिसके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी के

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

हस्ताक्षर हैं और अभियुक्त सूरज के अंगूठा निशानी हैं।

21. अभियोजन साक्षी देवेश खराड़ी ने अभियुक्त कन्छेदी, प्रेमचंद एवं सूरज के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। अभियुक्तगण द्वारा उनके कथनों बताए गए तथ्यों का विस्तृत उल्लेख अभियोजन साक्षी देवेश खराड़ी ने उनके मुख्य परीक्षण में किया है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित किए गए और उक्त कथनों पर अभियुक्तगण के अंगूठा निशानी की पुष्टि की गई। उक्त साक्षी ने उनके मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त कन्छेदी के कबूलियतनामा कथन को प्रदर्श पी–44, अभियुक्त प्रेमचंद के कथन प्रदर्श पी–45 एवं अभियुक्त सूरज के कथन प्रदर्श पी–53 के रूप में पुष्ट किए हैं। अतः श्री देवेश खराड़ी के कथनों की पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षीगण लोकेश सिंह, अभिषेक शुक्ला एवं शिवम चक्रवर्ती के साक्ष्य से होती है, जो घटना के समय मौके पर उपस्थित थे तथा उनकी साक्ष्य में कोई विरोधाभास प्रदर्शित नहीं होता है।

22. **सैय्यद जुनैद हुसैन (अ.सा. 07)** ने उनकी साक्ष्य में दिनांक–29.09.2024 को परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय, रामपुर में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी के पद पद पदस्थ रहते हुए, अभियुक्त जगन उर्फ जगना से पूछताछ कर उसके बयान लेखबद्ध करन बताया है। उक्त कथनों में अभियुक्त जगन ने बताया था कि उसने अपने भतीजे सूरज से पेंगोलिन पकड़वाने की बात की थी और बोला था कि वह पेंगोलिन के बदले ढाई–तीन लाख रूपये देगा। इसके उपरांत उसके पास दिनांक–12.08.2024 को सूरज का फोन आया कि पेंगोलिन मिल गया है और अगले दिन सूरज और जगन अभियुक्तगण प्रेमचंद व कन्छेदी के खेत में गए थे और हांडी में पेंगोलिन देखा था। वहां उनका सौदा देढ़ लाख रूपये में तय हुआ था। मौके पर सोनू, ज्ञानचंद और सूरज उपस्थित थे। सोनू और ज्ञानचंद वन्य प्राणी पेंगोलिन को खरीदने वाले थे। मौके पर सोनू ने बिजली से चलने वाले तराजू से पेंगोलिन को तौला था, जिसका वजन 17 किलोग्राम था। सोनू पैसे लेकर दो–तीन बाद आने वाला था, परंतु बाद में सूरज का फोन आया और उसने बताया कि अभियुक्तगण प्रेमचंद व कन्छेदी को वन विभाग वालों ने पकड़ लिया है। इसके बाद वह डर के कारण खेत की मड़ैया में

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

छिप गए थे।

23. अभियोजन साक्षी सैय्यद जुनैद हुसैन ने उनके मुख्य परीक्षण में विस्तृत रूप से अभियुक्त जगन उर्फ जगना द्वारा बताए गए कथनों का उल्लेख किया है, जो प्रदर्श पी–54 है और उसके ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उनके मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन नहीं हुआ है।

24. **डॉक्टर निधि राजपूत (अ.सा. 04)** ने उनकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि दिनांक–02.09.2024 को उन्हें वन परिक्षेत्र अधिकारी, रेंज रामपुर, कुण्डम परियोजना, मण्डल जबलपुर के पत्र क्रमांक/2024/417, दिनांकित 31.08.2024 के माध्यम से एक जीवित अवस्था में वन्य प्राणी पेंगोलिन, जिसका वैज्ञानिक नाम मैनिस क्रैसिकोडेटा है, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु लाया गया था। उक्त पेंगोलिन के परीक्षण में उन्होंने यह पाया कि पेंगोलिन स्वस्थ है, जिसे उनके द्वारा सुरक्षित और प्राकृतिक आवास में जल्द से जल्द छोड़े जाने के लिए वन विभाग को कहा गया, जिससे पेंगोलिन को कोई तनाव ना हो। उक्त साक्षी द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी–36 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। अतः चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य से इस तथ्य की संपुष्टि होती है कि अभियुक्तगण से जप्त वन्य प्राणी पेंगोलिन है और इस तथ्य के खण्डन में बचाव पक्ष ने कोई नवीन तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

25. अभियोजन साक्षी **अखिलेश अड़कने (अ.सा. 05)** ने उनकी साक्ष्य में अगस्त, 2024 में रामपुर परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक–21.08.2024 को मुखबिर के माध्यम से अभिषेक शुक्ला और लोकेश सिंह को ग्राम अमराडांड के जंगल में पेंगोलिन पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना के बाद वन स्टाफ बताए गए स्थान पर पहुंचा था, जहां थोड़ी देर बाद दो व्यक्ति एक हांडी लेकर जंगल से आते हुए दिखाई दिए। स्टाफ ने उन व्यक्तियों को रोककर नाम–पता व हांडी के संबंध में पूछा, तो उन्होंने हांडी में कपड़े धाने के लिए ले जाना बताया, किंतु जब हांडी खोलकर देखा गया, तो उसमें जीवित अवस्था में

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

वन्य प्राणी पेंगोलिन होना पाया गया, जिसे अभियुक्तगण कन्छेदी व प्रेमचंद द्वारा मारकर खाने के लिए ले जाना बताया।

26. मौके पर अभिषेक शुक्ला द्वारा पेंगोलिन, धातु की हांडी, अभियुक्त प्रेमचंद का मोबाईल व प्लास्टिक की सीमेंट की बोरी को जप्त किया गया और अभियुक्तगण को पूछताछ हेतु रेंज ऑफिस लाया गया। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष जप्तशुदा संपत्तियों को प्रस्तुत किया गया और न्यायालय से जीवित पेंगोलिन को पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी में छोड़े जाने की अनुमति पत्र के माध्यम से प्राप्त की गई। अनुमति प्राप्त होने पर पेंगोलिन को चिकित्सीय परीक्षण उपरांत टाईगर रिजर्व सिवनी में छोड़ा गया, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–37 है और उसके फोटोग्राफ प्रदर्श पी–38 लगायत प्रदर्श पी–40 हैं। इस साक्षी ने वन रक्षक अभिषेक शुक्ला के कथन उनके द्वारा लेखबद्ध करना बताया है, जो प्रदर्श पी–35 है और उसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षण के कथनों को बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

27. **<u>वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–50(8) एवं (9)</u>** यह उपबंधित करती है कि–"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति के नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को, जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होगी–

(क) तलाशी वारंट जारी करना
(ख) साक्षियों को हाजिर करना
(ग) दस्तावेजों और तात्विक पदार्थों के प्रकटीकरण और उनके पेश किए जाने के लिए विवश करना
(घ) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित करना।

इसी प्रकार **धारा–50(9)** के अनुसार– उपधारा (8) के खण्ड (ध) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जबकि उसे अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

लिया गया हो।

28. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत् वन्य जीव (संरक्षण) (म.प्र.) नियम, 1974 निर्मित हुए हैं। उक्त नियमों को धारा–50(8) एवं (9), दिनांक–09.08.2016 एवं दिनांक–15.10.2019 के आदेश तथा न्यायदृष्टांत् **रामचन्द्र मलानी विरूद्ध म.प्र. राज्य एम.सी.आर.सी. –11638–2014** एवं **थमीम अंसारी विरूद्ध म.प्र. राज्य एम.सी.आर.सी. –20013/2019** के साथ अध्ययन किया जाए, तो माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि–"In Madhya Pradesh, the Assistant Conservator of Forests (Sub-Divisional Forest Officer) and the Forest Range Officer (FRO) are the authorized officers under sub-section (8) and (9) of section 50 of WLPA. They are authorised to act under sub section (8) of section 50 of WLPA."

29. अतः लोकेश सिंह ठाकुर द्वारा परियोजना परिक्षेत्र प्रभारी अधिकारी की हैसियत से अभियुक्त जगन की उपस्थिति में साक्षीगण शिवम व राहुल के लिए गए कथन धारा–50(8)(घ) के अन्तर्गत् विधिसम्मत हैं। इसी प्रकार उपधारा–(9) के अनुसार धारा–50(8)(घ) के अधीन अभिलिखित साक्ष्य पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य है, क्योंकि उक्त कथन अभियुक्त जगन की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए थे। वर्तमान मामले में बचाव पक्ष द्वारा ऐसे कोई ठोस आधार दर्शित नहीं किए गए हैं, जो धारा–50(8)(घ) के अन्तर्गत् साक्षीगण के लेखबद्ध कथनों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह् उत्पन्न करें। श्री लोकेश सिंह द्वारा साक्षीगण के लेखबद्ध कथनों को उन्होंने स्वयं की साक्ष्य में विधिवत् रूप से प्रदर्शित कर स्पष्ट किया है, जिसका खण्डन उनके प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध अभियुक्त जगन की उपस्थिति में लेखबद्ध साक्षीगण शिवम एवं राहुल के कथन विचारण में ग्राह्य योग्य हैं तथा धारा–50(8)(घ) एवं (9) के परिपालन में सुसंगत एवं विधिपूर्ण है।

30. इस संबंध में न्यायदृष्टांत **योगेश एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2003 बॉम्बे सी.आर. 182 बॉम्बे** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि धारा–50(8) एवं (9) सामान्य नियम

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

के अपवाद हैं तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि सक्षम अधिकारी द्वारा साक्षीगण के कथन स्वेच्छयापूर्वक अभियुक्त की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए हैं। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **सज्जन सिंह विरूद्ध राज्य 1960 जे.एल.जे. एस.एन. 108** में माननीय वरिष्ठ न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि–"The Statements recorded before the authorised officer by themselves becomes a substantive piece of evidence when the conditions laid down in Section-50(8) and (9) are fulfilled." उक्त न्यायदृष्टांत में पारित विधि का अनुसरण **मोतीलाल विरूद्ध सी.बी.आई. एवं अन्य निर्णीत दिनांक 09.04.2002** में भी किया गया है।

31. हस्तगत् प्रकरण में बचाव पक्ष ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जो यह इंगित करें कि लोकेश सिंह ठाकुर द्वारा डर, दबाव, बिना स्वेच्छयापूर्वक साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे अथवा उक्त कथन अभियुक्त जगन की उपस्थिति में नहीं लिए गए थे। उक्त कथनों का कोई खण्डन बचाव पक्ष ने नहीं किया है और ना ही स्वयं के समर्थन में उक्त कथनों की अविश्वसनीयता के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के पालन में वर्तमान प्रकरण में अभिलिखित साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होकर, विचारण में ग्राह्य योग्य है।

32. इसी क्रम में **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–57** अतिमहत्वपूर्ण होकर प्रकरण में सुसंगत है, जिसके अनुसार– "जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई वंदी प्राणी, प्राणी–वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पत्ति है, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है और जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे बन्दी प्राणी, प्राणी–वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पत्ति का विधिविरूद्ध कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है।" इस प्रावधान को Principle of Reverse Burden से भी संबोधित किया जाता है।

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

33. अर्थात् यदि अभियुक्तगण के आधिपत्य से किसी वन्य प्राणी की जप्ती होती है, तब ऐसी स्थिति में उक्त संपत्ति अभियुक्त के आधिपत्य में क्यों और किस प्रकार आयी, इसे सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **वाईल्ड लाईफ बनाम अशोक कुमार एवं अन्य सी.सी. संख्या 301845/16–17** में माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त किसी पशु के किसी भाग या जानबूझकर उस पर कब्जा/हिरासत या नियंत्रण में पाया गया था और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, जिसे अभियुक्त द्वारा साबित किया जाना है, ऐसे व्यक्ति की हिरासत को गैर–कानूनी हिरासत माना जाएगा और यदि अभियुक्त अधिनियम की धारा–57 की उपधारणा को खारिज करने के भी कोई सबूत पेश नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है।

34. हस्तगत् प्रकरण के तथ्यों को यदि दृष्टिगत् रखा जाए, तो अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह इंगित करे कि कथित जप्तशुदा पेंगोलिन उनके आधिपत्य में क्यों और किस प्रकार था। अतः अभियुक्तगण ने धारा–57 के अधीन सबूत के भार को उन्मोचित नहीं किया है।

35. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिस कारणवश वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी गई साक्ष्य हितबद्ध साक्षियों की श्रेणी में आती है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि वन और वन्य प्राणियों संबंधी अपराध को साबित करने हेतु स्वतंत्र साक्ष्य की समर्थन साक्ष्य होने पर बल देना पाण्डित्य नहीं है। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी साक्ष्य पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक उसकी कोई समर्थन साक्ष्य नहीं हो। किसी मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों की यह अपेक्षा रहती है कि यदा–कदा ऐसी साक्ष्य का समर्थन साक्ष्य के अभाव में ही निर्भर रहकर विचार किया जाए, क्योंकि जंगल एक ऐसा क्षेत्र है, जहां मानव गतिविधियां कम रहती हैं। वन के आक्रमणकारी तथा वन्य प्राणी के शिकारी इस ओर सतर्क रहते हैं, जिससे उनकी घुसपैठ की तकनीक उजागर नहीं हो जाए। वह अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। इसलिए

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

वन और वन्य प्राणियों से संबंधित अपराध के प्रमाण हेतु स्वतंत्र साक्ष्य के समर्थन पर बल देना युक्तिसंगत नहीं है।

36. इस विषय पर न्यायदृष्टांत **रामस्वरूप विरूद्ध राज्य, दिल्ली एन.सी.टी. सरकार क्रिमिनल अपील नंबर 1327/2010** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "We may note here with profit that there is no absolute rule that police officers cannot be cited as witnesses and their depositions should not be outrightly rejected. Similarly in **State of UP Vs Anil Singh**, the Court took note of the fact that generally the public at large are reluctant to come forward to depose before the court and, therefore, the prosecution case cannot be doubted for non-examining the independent witnesses."

37. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **करमजीत सिंह विरूद्ध राज्य ए.आई. आर. 2003 एस.सी. 1311** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि विधि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट है कि विभागीय गवाह उतने ही भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं, जितने कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी हो सकते हैं। विभागीय गवाहों को किसी अन्य गवाह के समान ही माना जाना चाहिए और विधि का कोई सिद्धांत नहीं है कि पुष्टि के बिना उनकी भी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उचित आधार के बिना विभागीय गवाहों की साक्ष्य पर अविश्वास और संदेह करना उचित दृष्टिकोण नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत **मुकेश सिंह विरूद्ध राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) (2020) 10 एस.सी.सी. 120** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि–"As per Illustration (e) to Section 114 of the Evidence Act, if an official act has been proved to have been done, it shall be presumbed to be regularly done. Credit has to be given to public officers in the absence of any proof to the contrary of their not acting with honesty or within limits of therir authority." इसलिए स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के अभाव में भी अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के पालन में स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य के अभाव से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

38. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वन अधिकारियों की उपस्थिति एवं उनके समक्ष वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के लिए गए कबूलियतनामा बयान धारा–25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि न्यायदृष्टांत **फारेस्ट रेंज ऑफिस विरूद्ध अबू बकेर एवं अन्य निर्णीत दिनांक 14.03.1989, ई.सी. रिचर्ड विरूद्ध फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ए.आर.आर. 1958 मद्रास 31, सरदार खान विरूद्ध फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, यवतमाल एवं अन्य 2006 1 बॉम्बे क्रिमिनल 820 डी.बी. एवं म.प्र. राज्य विरूद्ध जैतमंग निर्णीत दिनांक–21.04.2016** में विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने यह अवधारित किया है कि–"The admissibility of the confession made to the Forest Range Officer is not open to doubt since the embargo contained in Section-25 of the Evidence Act is not applicable to it. Forest officers, though they are invested with some of the police powers, are not police officers. Hence they can give evidence before court regarding persons who were then in custody. If the court considers such confession to be reliable, there is no legal bar in acting on such confession." अतः यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में वन अधिकारियों द्वारा अभियुक्तगण की संस्वीकृति (कबूलियतनामा) के संबंध में की गई कार्यवाहियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–25 के प्रावधान से बाधित नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप संस्वीकृति (कबूलियतनामा) के संबंध में की गई समस्त कार्यवाहियां, यदि न्यायालय उन्हें विश्वसनीय पाती है, तो वह वैध एवं विधिपूर्ण होकर साक्ष्य में ग्राह्य योग्य हैं, जिन्हें अन्य स्वतंत्र समर्थनकारी साक्ष्य से संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

39. यह निर्विवादित है कि पशु एवं वन्य प्राणी संपदा के संबंध में भारत एक अत्यधिक धनी देश है, जहां कुछ दुर्लभ प्रजातियां पहले से ही पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं और कुछ प्रजातियां अन्य खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं। यदि शीघ्र ही सुरक्षात्मक उपाय नहीं निकाले गए, तो बची हुई दुर्लभ प्रजातियां भी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगी। वर्तमान समय में न्यायालय के समक्ष वन्य प्राणियों के संरक्षण, उनके विरूद्ध घटित अपराध का शीघ्र विचारण एवं ऐसे अपराधियों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना सर्वाधिक बड़ी चुनौती है, जिस संबंध में न्यायालय को पुष्टि के नियम

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए, वन्य प्राणियों के संरक्षण विधि के उद्देश्य को विफल होने की संभावना से बचाना चाहिए। आज के युग में एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते सभी का यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति से छेड़छाड़ न करते हुए, वन एवं वन्य प्राणी संपदा को संरक्षित करने का संकल्प लें और उनके प्रति हुए अपराधों के विरूद्ध आवाज उठाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो शीघ्र ही दुर्लभ वन्य प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जिसकी प्रतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी।

40. जिस प्रकार वर्तमान समय में वन संपदाओं एवं वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है, इसका अत्यधिक दुष्प्रभाव वन्यप्राणियों पर पड़ रहा है, क्योंकि वन्यप्राणियों का गृह निवास वन है, जिसे मनुष्यों द्वारा स्वयं के हितों एवं स्वार्थ के कारण नष्ट किया जा रहा है। किसी भी प्राणी के आवास को यदि क्षति पहुंचाई जाती है, तो इससे उसका संपूर्ण परिवार संतप्त होकर आवासहीन हो जाता है। वन्यप्राणियों द्वारा हम नागरिकों से उनके संरक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती है। वन्यप्राणी बहुत ही सरल प्रवृत्ति के होते हैं और उनके द्वारा जब तक कोई प्रत्यक्ष व विशिष्ट खतरा ना हो, तब तक कोई जनहानि भी नहीं पहुंचाई जाती है। अतः ऐसे वन्यप्राणियों को संरक्षित करना हमारा परम दायित्व है और यदि वन्य प्राणियों का किसी भी प्रकार से आखेट व आखेट का प्रयत्न किया जाता है, तो यह नैतिकता व मानवता के मूल्यों के विपरीत होकर गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 लगायत 03 अभियुक्तगण के विरूद्ध **"<u>प्रमाणित</u>"** निष्कर्षित किये जाते हैं।

<u>अंतिम आदेश</u>

41. परिणाम स्वरूप अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद ने दिनॉक–21.08.2024 को दोपहर लगभग 02:30 बजे, आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा अन्तर्गत बीट अमराडांड आरक्षित वन कक्ष क्रमांक–463, वृत्त खमतरा,

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

परियोजना परिक्षेत्र, रामपुर में अनुसूची–01 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी पेंगोलिन के आधिपत्य में होना पाए गए और वन्यप्राणी पेंगोलिन का परिवहन किया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वन्यप्राणी पेंगोलिन का बिना अनुज्ञप्ति के व्यापार/विक्रय का प्रयत्न किया।

42. अतः अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–39, 48ए, 49बी सहपठित धारा–52 एवं अभियुक्तगण सूरज एवं जगन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–49बी सहपठित धारा–52 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए **दोषसिद्ध** किया जाता है।

43. अभियुक्तगण को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान का लाभ देने के संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह उनका प्रथम अपराध है, परंतु वन्य प्राणी संबंधी अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है और ऐसे अपराधों के लिए परिवीक्षा का लाभ देना, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के सिद्धांतों के विपरित होगा। अतः अभियुक्तगण परीवीक्षा का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। अर्थात अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ न देते हुए दंड के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय अस्थाई रूप से स्थिगित किया जाता है।

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ढीमरखेड़ा, जिला–कटनी (म.प्र.)

पुनश्चः–

44. दण्डाज्ञा पर अभियोजन तथा अभियुक्तगण को सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह तर्क है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है एवं वह अपने घर के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिये उन्हें कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अभियोजन ने अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड देने का आग्रह किया

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

है।

45. यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत् परिवाद दिनांक–21.10.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है तथा नवीन आपराधिक विधि बी.एन.एस.एस. दिनांक–01.07.2024 से प्रवृत्त हुई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अर्थदण्ड क्षेत्राधिकारिता में वृद्धि करते हुए 10,000/– रूपये के स्थान पर 50,000/– रूपये का अर्थदण्ड देने हेतु सशक्त किया है। यह भी अवलोकनीय है कि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 द्वारा धारा–51(1) में संशोधन करते हुए, 25,000/– रूपये अर्थदण्ड के स्थान पर 1,00,000/– रूपये तथा परंतुक में अनुसूची–01 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी के संबंध में अपराध हेतु न्यूनतम 25,000/– रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यूनतम 03 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। उक्त संशोधन दिनांक–01.04.2023 से प्रवृत्त हुआ है। चूंकि हस्तगत् परिवाद दिनांक–21.10.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है और वन्य प्राणी पेंगोलिन अनुसूची–01 का वन्य प्राणी है, ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में नवीन आपराधिक विधि बी.एन.एस.एस. के आलोक में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–51(1) के अंतर्गत् संशोधित प्रावधान के अधीन अभियुक्तगण को दण्डित किया जाना विधिपूर्ण है।

46. अभिलेख पर अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धी का कोई आधार नहीं है और ना ही वन विभाग की ओर से ऐसा कोई तर्क ही किया गया है। अतः अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, वन्य प्राणियों के विरूद्ध बढ़ते अपराध, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के सिद्धांतों एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्तगण कन्छेदी, प्रेमचंद, सूरज एवं जगन को उन पर आरोपित अपराध के अंतर्गत् दोषसिद्धी के फलस्वरूप दर्शित सारणी अनुसार दंडित किया जाना सारभूत समझती है एवं तदानुसार दंडित किया जाता है:–

क्र.	अभियुक्तगण के नाम	अपराध जिनके अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है	अधिरोपित दण्डादेश	अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

				दशा में कारावास
01.	कन्छेदी पिता प्रेमचंद बैगा	धारा–39, 48ए, 49बी सहपठित धारा–52 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा–51(1) के अधीन प्रत्येक धारा के अंतर्गत् 03–03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक अपराध हेतु 25,000–25,000/– रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड। इस प्रकार अभियुक्त पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड **75,000/– रूपये** (पच्छहत्तर हजार रूपये)	03 माह का अतिरिक्त साश्रम कारावास
02	प्रेमचंद पिता विश्राम बैगा	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
03	सूरज पिता चन्द्रभान गोंड	धारा–49बी सहपठित धारा–52 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा–51(1) के अधीन के अंतर्गत् 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं **25,000/– रूपये** (पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड।	यथोक्त
04	जगना पिता जुगराज गोंड	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
अभियुक्तगण पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड राशि–			**2,00,000/–रू.** (दो लाख रूपये)	

47. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर उन्हें निरोध में लिया जाकर, कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु सजा का सजा

30.1.26
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

वारंट बनाया जाये एवं जिला जेल कटनी भेजा जावे।

48. अभियुक्तगण कन्छेदी एवं प्रेमचंद दिनांक–22.08.2024 से आज दिनांक–30.01.2026 तक कुल 526 दिन, अभियुक्त सूरज दिनांक–25.08.2024 से दिनांक–22.10.2024 तक कुल 58 दिन एवं अभियुक्त जगन दिनांक–29.09.2024 से दिनांक–25.10.2024 तक कुल 26 दिन अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहे हैं। इस संबंध में धारा–468 बी.एन.एस.एस. का प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा। अभियुक्तगण द्वारा बिताई गयी निरोध अवधि को उनकी मूल सजा में समायोजित किया जावे।

49. प्रकरण में जप्तशुदा धातु की हांडी, एक प्लास्टिक बोरी अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावें एवं जप्तशुदा दो नग जियो कंपनी के मोबाईल उनके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जावे अथवा अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ढीमरखेड़ा, जिला–कटनी (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

30.1.26

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ढीमरखेड़ा, जिला–कटनी (म.प्र.)